फर्द अहकाम

रामकरण बनाम महादेव

SDO शाहपुरा

142/2016 धारा

नोट आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
27/4/18	पत्रावली पेश हुई। आवाज लगाई गई। वादी पक्ष या उसका वकील कोई उपस्थित नहीं आया। अतः प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी के खारिज किया जाता है। प्रकरण नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (रवि विजय) उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा, जिला–जयपुर (राज.)	